

प्रतिवेदन

परियोजना के सम्बन्ध में सक्षिप्त विवरण

परियोजना का नाम :-

मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या ९३/२०१५ के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र नैनीताल में अमोठा से डोला हाईस्कूल तक लिंक मार्ग का नव निर्माण।

मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या ९३/२०१५ के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र नैनीताल में अमोठा से डोला हाईस्कूल तक लिंक मार्ग के नव निर्माण कार्य की स्थीकृति शासनादेश सख्ता ४५२० / ११ (२) / १५-०८ (मु०म०ध०) / २०१५ दिनांक १९.०६.२०१५ दारा ६.०० किमी० मार्ग के निर्माण हेतु ₹ ५४.६० लाख की प्राप्त हुई है। प्रस्तावित कार्य की वन भूमि/नाप भूमि में वारतविक लम्बाई ३.४०० किमी० है। यह मार्ग भलौन से सिमली पातली अमतोली अमोठा मोटर मार्ग से प्रारम्भ होकर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना देवीपुरा सोड़ मोटर मार्ग पर स्थित ग्राम रियाड मल्ला के रस्कूल के पास समाप्त होता है। उक्त कार्य का संरेखण इस प्रकार तथा किया गया है कि इस संरेखण में कोई भी वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहा है।

उक्त कार्य में वन पंचायत भूमि एवं नाप भूमि पड़ती है। प्रश्नगत मार्ग का संयुक्त निरीक्षण दिनांक ०७.११.२०१५ को किया गया है (आख्या पृष्ठ ३१ पर संलग्न है) मार्ग के निर्माण हेतु आरक्षित वन भूमि ०.०० भूमि लम्बाई में सिविल सोयम भूमि ०.०० भूमि लम्बाई में, वन पंचायत भूमि १८५०.०० भूमि लम्बाई में तथा नाप भूमि १५५०.०० भूमि लम्बाई में प्रभावित हो रही है। इस प्रकार कुल ३.४० किमी० लम्बाई में इस मार्ग की चौड़ाई ९.०० भूमि ती गयी हैं तथा वृक्षों की गणना भी ७.०० भूमि लम्बाई में ही की गयी है। इस प्रकार आरक्षित वन भूमि शून्य सिविल सोयम भूमि शून्य तथा वन पंचायत भूमि कुल १.६६५० हेतु प्रभावित हो रही हैं, की माँग की गयी है जो इस संरेखण में कोई भी वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहा है। समरेखन नं० २ में वृक्ष प्रभावित होने के कारण तथा गार्ग की लम्बाई बढ़ जाने के कारण निरस्त किया गया है तथा समरेखन नं० १ में कोई भी वृक्ष प्रभावित होने के कारण तथा भू-गम्भीर दृष्टि से उपयुक्त होने के कारण उपयुक्त माना गया है। ग्राम अमोठा एवं ग्राम रियाड मल्ला के निवासियों की सहमति को देखते हुए तथ किया गया है कि जिस संरेखण पर वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित किया गया है। मार्ग के समरेखन में कोई मन्दिर, मसिजिद, कब्रिस्तान आदि धार्मिक स्थान नहीं पड़ते हैं। मार्ग का मूर्माण्य निरीक्षण भौजिनिक द्वारा कराया गया है। (आख्या पृष्ठ ३१-३२ संलग्न है)। भू-वैज्ञानिक द्वारा प्रत्यावित समरेखन को उपयुक्त बताया गया है तथा इस संरेखण में कोई भी वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

अतः प्रश्नगत मार्ग जिसमें वन भूमि १.६६५० है, का लो०निवि० को हस्तान्तरण करने की कृपा करें।


(इ० आर० सी० पाण्डे)
अधिकारी अधिकारी
०० ख० ल००निवि०
रामनगर (नैनीताल)


चन्द्रप्रकाशकारी
लोटा रज० (लेटो)
रामनगर वन भूमि विभाग (नैनीताल)


पूर्णभद्रा वन भूमि विभाग, रामनगर
